५८

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

बाजदायरी कार्यालय 09 R 9 CPC क्लिअर 08/10/2020

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मोनिका इत्यादि बनाम मुकेश आ. गणेश

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 0.9 R 9 सपठित धारा 151 CPC (बाज०) नम्बर 162/2020 सन् 2020 (५३)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री बी. एल. शर्मा श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
8.10.20	बाजदायरी प्रार्थना पत्र (आदेश 09 नियम 9 जा.दी.) पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने मान्नीय सुप्रीम कोर्ट सूओ मोटो रिट पिटीशन के आधार पर मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक प्रार्थी के कथन पर विश्वास करते हुए एवं मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक राम/न्याय/स्था.प–88/2012 दिनांक 18.06.2020 के आदेशानुसार वैश्विक महामारी कोविड़ –19 के कारण नवीन वादो के प्रस्तुतीकरण के विलम्ब अवधि को मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश सूओ मोटो रिट पिटीशन "सिविल नम्बर 3/2020/ दिनांक 23.03.2020 से पारित आदेशानुसार उक्त अवधि दिनांक 23.03.2020 से 29.06.2020 को परिसीमा अवधि में सम्मिलित नहीं किये जावें अर्थात उक्त अवधि परिसीमा गणना से बाहर रहेगी इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। तत्पश्चात बाजदायरी प्रार्थना पत्र (आदेश 09 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी.) पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उपरोक्त उनवानी अपील मान्नीय न्यायालय में विचाराधीन थी। जिसमें गत तारीख पेशी दिनांक 09.01.2020 को अपीलांट/प्रार्थीया आवश्यक कार्य से पश्चिम बंगाल में होने एवं प्रार्थीया के अधिवक्ता दिगर न्यायालय में व्यस्त होने से वरवक्त आवाज तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकें इसलिए अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी है न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** 8/10/2020 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प बूंदी	